

19.12.2017 न्यायालय रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक अजय द्वारा श्री एन.एस. तोमर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 109/17 अंतर्गत धारा 457, 380 भा0दं0वि0 की कैफियत व केस डायरी प्राप्त तथा न्यायालय न्यायिट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक परण क्रमांक 672/17 ई.फौ. गोदह चौराहा बनाम अजय एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

जमानत आवेदन के साथ आवेदक अजय के पिता रामदुलारे का शपथपत्र संलग्न किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 है।

इस प्रकार का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय या समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट होता है।

आवेदक के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा फरियादी पक्ष के साथ मिलकर आवेदक के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया है। जबकि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा दिनांक 11.12.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया है, जो निरस्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा अब किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक काफी समय से न्यायिक निरोध में है। यदि वह अधिक दिनों तक न्यायिक निरोध में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी तथा प्रकरण क्रमांक 672/17 के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 16 एवं 17. 08.2017 की दरम्यानी रात में फरियादी भूरी बाई जाटव

के घर स्थित गौतम नगर गोहद चौराहा में कमरे में राखे सूटकेश में सोने चाँदी के जेवर आदि कीमत 70,000 /— रूपए की चोरी हो गई। जिसकी रिपोर्ट गोहद चौराहा थाना में 17.08.2017 को की गई। दौरान अनुसंधान यह तथ्य सामने आए कि उक्त चोरी अभियुक्त अजयसिंह, धर्मेन्द्र सिंह एवं रामबीर के द्वारा मिलकर की गई थी। अभियुक्त अजयसिंह के आधिपत्य से एक करधोनी चाँदी जैसी, एक जोड़ी बिछिया चाँदी जैसे, एक पेडिल, मंगलसूत्र सोने जैसा, धर्मेन्द्र सिंह से एक जोड़ी झुमकी सोने जैसी, एक चूड़ा बच्चे का चाँदी जैसा, एक तोड़ी चाँदी जैसी एवं अभियुक्त रामबीर के आधिपत्य से एक जोड़ी बाला सोने जैसा, एक हाथ सोने जैसे जैसी, दो जोड़ी बिछिया चाँदी जैसे, एक तोड़ीया चाँदी जैसी, एक चूड़ा बच्चे का चाँदी जैसा जप्त किए गए। आवेदक अजय के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर समूह में चोरी की गई है। केस डायरी के अनुसार धर्मेन्द्रसिंह के विरुद्ध एक अन्य अपराध चोरी का ही दर्ज है। अजयसिंह के विरुद्ध एक मारपीट और एक चोरी का अपराध दर्ज है। रामबीर के विरुद्ध चार चोरी के, एक आयुध अधिनियम का तथा एक एम.पी.डी. पी.के. एक्ट के अपराध है।

अतः मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप, आवेदक के विरुद्ध आक्षेप तथा आवेदक के आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप आवेदक का जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख वापिस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड